

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... मुकाम.....
 किरत मुकदमा.....
 34 रणधीर सिंह कांडी वपान
 दुर्गाचम कांडी नाम.....
 5141 नं. 505 को सन 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
20/4/22	दावा नजी दखिस्त ही प्रतिवादीगण को जारी हुकम नम्बर 10 का प्रमाण दिनांक 20/7/22 को प्रेम ही मय	
20/7/22	पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/7/22 को पेश हो	
25/7/22	पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/8/23 को पेश हो	
17/8/23	पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/9/23 को पेश हो	
10/9/23	रु 50 का उपाय नजीक प्रतिवादीगण निम्न प्रमाण 1 साक्षर हिसाब ही गण 10 का प्रमाण दि. 9/11/23 को पेश हो	
9/11/23	उक्त कार्य में व्यस्त पीठासीन अधिकारी पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7/12/24 को पेश हो	

वेदराभ 3

एस.डी.ओ./एस.डी.एम. बयाना

वेदराज

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक को पेश है

17/4

रीडर
ओ/एस.डी.एम
बी.गार

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक को पेश है

7/25

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

18/4

पीठासीन अधिकारी
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक को पेश है

रीडर
ओ/एस.डी.एम.

10/12/25

एडवो वाडी उषा। प
जहाँ। अब पालिका हो
दिनांक 16/3/26 को पेश हो।

उसे पता. जे.किसका। डी.जि.सि
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक को पेश है

16/3
26

एडवो वाडी उषा। उमरख ने प्रति
जे. उ का कालतनामपत्र करने हेतु
अतिम नाम दिया जाता है शीव
प्रति की तलबी हेतु तलबाना पेश
करें। उमरख दि. 21/5/26 को पेश
की जाए

28/4
26

उमरख आज वाडीगण इसा उषा
प्रार्थना पत्र के आधार पर तारीख
पेशी से पूर्व तलब सिमा गभा

Net price
7/25/25

तारीख
हुक्म

नम्बर व ल
अहकाम व
हुक्म की र
में जारी

वादीगण द्वारा जाहिर किया कि पञ्जाब
के राजीनामा हो गया है। प्रमुख को
आगे नहीं चलाना चाहते। प्रमुख इजी
पुत्र पर खारिज किया जाये। वादीगण
की पहचान एक वेपुमात्र शर्माधारा
की रही।

वैत: वादीगण द्वारा प्रस्तुत डा
फ के आधार पर प्रमुख इजी पुत्र
पर खारिज किया जाता है। प्रमुख
केसल शुमार दोन नम्बर के मय
है। बाद-तकनील काखिल पत्र है।

म

पुत्र